न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

बद्रीप्रसाद रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

मि. नं. 51 / 2023 दावा / बटवारा / सीताराम / लक्ष्मीनारायण वगैरा

सीताराम आयु 75 साल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादी—

—बनाम—

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री गोविन्दा जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
2. शिवनारायण पुत्र श्री प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
3. कमलेश पुत्र श्री प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
4. कुंजबिहारी पुत्र श्री प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
5. मंजूबाई पुत्री श्री प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
6. जवाहरबाई बेवा श्री प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
7. पवन पुत्र श्री चम्पालाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
8. महेश पुत्र श्री चम्पालाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
9. इन्द्राबाई बेवा श्री चम्पालाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
10. रामसुखी बाई पुत्री श्री बद्रीलाल पत्नी श्री जानकीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा हाल निवासी ग्राम देदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड,
11. नरेन्द्र पुत्र श्री गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम चतरपुरा,
12. नाणकचन्द पुत्र श्री गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम चतरपुरा,
13. हुकुमचन्द पुत्र श्री गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम चतरपुरा,
14. हरिप्रसाद पुत्र श्री गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम चतरपुरा,
15. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा,

—प्रतिवादीगण—

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

—:: निर्णय ::— दिनॉक :— 28.5.24

वादी की ओर से इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 10 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका खानदानी सजरा हस्ब जैळ है :—

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

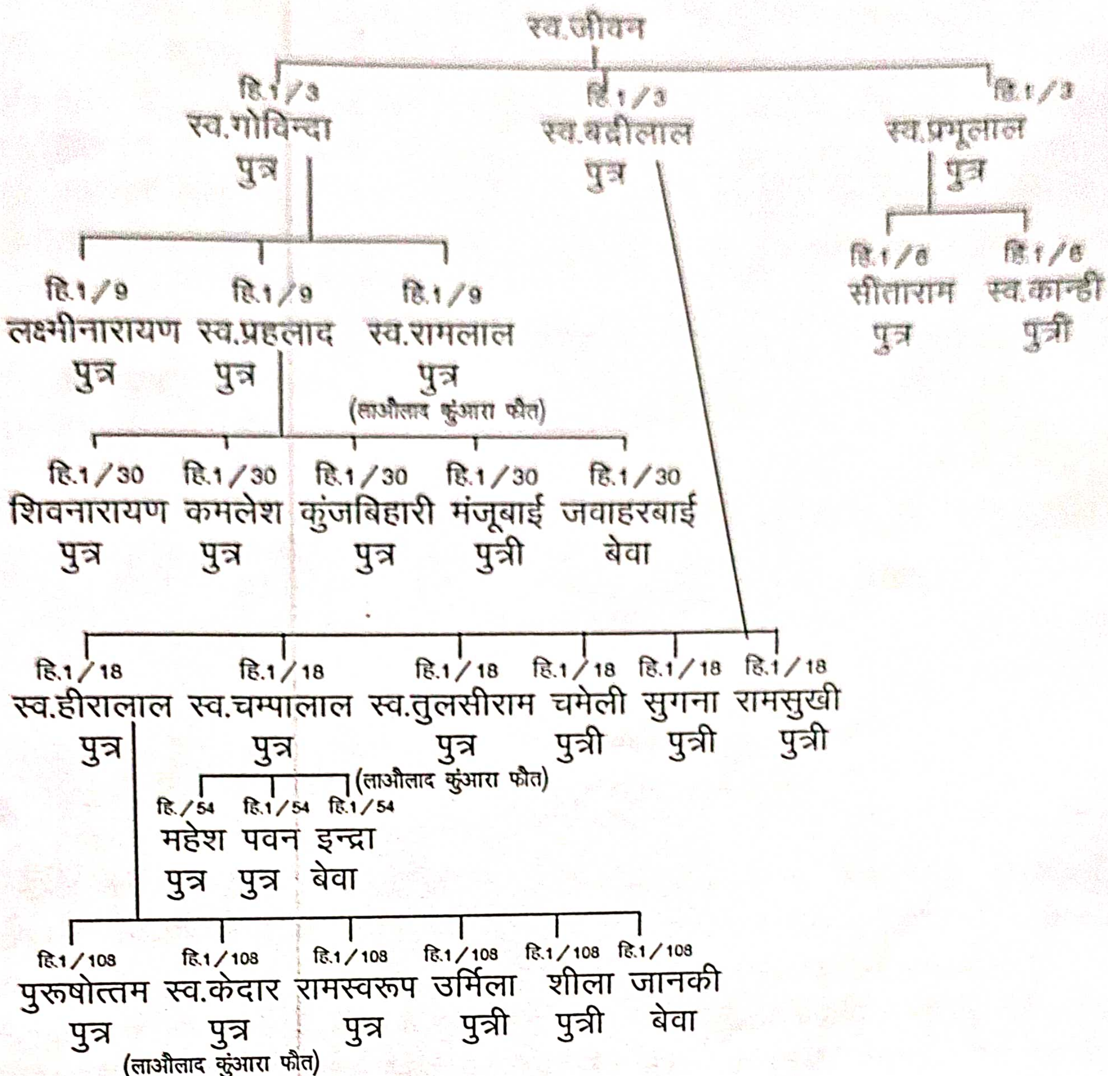

वादी ने वादपत्र में यह भी अंकित किया कि वाके माल ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खतोनी संख्या 96 के किता 8 की 38 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है जिसकी तफसील हस्ब जैळ है :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	58	13 बीघा 11 बिस्वा
	83	14 बीघा
	190	2 बीघा 16 बिस्वा
	193	1 बीघा 7 बिस्वा
	253	1 बीघा 2 बिस्वा
	256	2 बीघा 15 बिस्वा
	257	1 बीघा 2 बिस्वा
	300	2 बीघा 1 बिस्वा
	कुल किता 8 की	कुल 38 बीघा 14 बिस्वा

वादी ने वादपत्र में यह भी अंकित किया कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित 38 बीघा 14 बिस्वा आराजी नकल जमावन्दी संवत् 2045—48 में खातेदार गोविन्दा, बद्रीलाल, प्रभूलाल

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

पुत्र श्री जीवन के नाम बांट बराबर में दर्ज खाता थी। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा गोविन्दा का, 1/3 हिस्सा बदीलाल का व 1/3 हिस्सा प्रभूलाल का निहित रहा है। उक्त तीनों खातेदारों की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खानदानी सजरा अनुसार वारिसान को विरासतन प्राप्त हुई। इस प्रकार खातेदार स्व.प्रभूलाल की हिस्सा आराजी वादी को प्राप्त हुई तथा वर्ष 2058 में सेटलमेंट विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी का सेटलमेंट कर दिया गया। सेटलमेंट द्वारा निम्नलिखित नये खसरा नंबरान कायम किये गये जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	102	2.19
	191	2.27
	392	0.45
	398	0.22
	469	0.18
	472	0.20
	473	0.25
	474	0.01
	475	0.17
	539	0.33
	कुल किता 10 की	कुल 6.27 हैक्टर आराजी

वादी ने वादपत्र में आगे अंकित किया सहखातेदार सुगना, चमेलीबाई, तुलसीराम, कान्ही द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित स्वयं का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड रिलीजडीड कमांक 2004000919 दिनांक 15.09.2004 से वादी सीताराम को रिलीज कर देने से वादग्रस्त आराजी में वादी का कुल हिस्सा 1/2 कायम हुआ है जिसके मुताबिक मौके पर वादी वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा शान्तिपूर्वक बदस्तूर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार से सहखातेदार जानकी, पुरूषोत्तम, रामस्वरूप, उर्मिला, शीला द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित स्वयं का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी कं. 1 लक्ष्मीनारायण, प्रतिवादी कं. 2 ता 5 के पिता प्रहलाद व रामलाल के हक में जरिये रजिटर्स्ड रिलीजडीड कमांक 2004000920 दिनांक 15.07.2004 से रिलीज कर दिया जिसके उपरान्त सहखातेदार रामलाल लाऔलाद कुंआरा फौत होने से उसकी हिस्सा आराजी उसके सगे भाई लक्ष्मीनारायण व प्रहलाद को विरासतन प्राप्त हुई तथा प्रहलाद की मृत्यु के बाद उसकी हिस्सा आराजी प्रतिवादी कं. 2 लगायत 6 को विरासतन प्राप्त हुई। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कं. 1 लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 7/36 व प्रतिवादी कं. 2 लगायत 6 का हिस्सा 7/36 कायम हुआ जिस पर प्रतिवादी कं. 1 लगायत 6 शान्तिपूर्वक काबिजकाश्त हैं। इस प्रकार मुताबिक सजरा प्रतिवादी कं. 7 लगायत 9 का वादग्रस्त आराजी में 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी कं. 10 का 1/18 हिस्सा निहित है। साथ ही सहखातेदार केदार, पुरूषोत्तम, रामस्वरूप, तुलसीराम, जानकीबाई द्वारा खसरा नंबर 84 रकवा 14 बीघा हाल खसरा नंबर 191 रकबा 2.27 हैक्टर आराजी में निहित स्वयं का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैनामा कमांक 567/03 दिनांक 23.06.2003 से प्रतिवादी कं. 11 लगायत 14 विकय कर देने से उक्त आराजी में प्रतिवादी कं. 11 लगायत 14 का हिस्सा 5/54 कायम हुआ है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेग्रीकेशन जमाबन्दी तैयार करते वक्त त्रुटिपूर्वक सेग्रीकेशन जमावन्दी संवत् 2073-76 की खतोनी संख्या 125 व 147 में तमाम खातेदारों का हिस्सा

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

बराबर— बराबर अंकित कर दिया। राजस्व कर्मचारियों को उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। उक्त त्रुटिपूर्ण राजस्व इन्द्राजात को दुरूस्त करवाने हेतु वादी ने गत सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो उन्होंने हिस्सा दुरूस्ती की कार्यवाही में सहयोग करने से मना कर दिया व त्रुटिपूर्ण अंकित हिस्सा आराजी को विक्रय कर खुर्दबुर्द करने व वादी को शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त से बेदखल करके अजनबी केता को स्वयं के वास्तविक हिस्से से अधिक हिस्सा भूमि का कब्जा सुपर्द करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त नाजायज मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परिस्थितियों में वादी के लिए माननीय न्यायालय में वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण गतसप्ताह प्रतिवादीगण से त्रुटिपूर्ण राजस्व इन्द्राज को दुरूस्त करवाने की कार्यवाही करने को कहने व प्रतिवादीगण द्वारा कार्यवाही में सहयोग करने से इन्कार करने व त्रुटिपूर्ण इन्द्राजात का नाजायज फायदा उठाकर वादी को शान्तिपूर्ण कब्जाकाश्त से बेदखल कर, स्वयं के वास्तविक हिस्से से अधिक हिस्सा भूमि को विक्रय करके अजनबी केता को कब्जा सुपुर्द करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। भूमिधारी होने से राज्य सरकार को वाद में पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम चतुरपुरा तहसील सॉगोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः माल ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद में स्थित खसरा नंबर 102 रकबा 2.19 हैक्टर, खसरा नंबर 392 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नंबर 398 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 469 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 472 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 473 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 474 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 475 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नंबर 539 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 4.00 हैक्टर आराजी के 1/2 हिस्से का वादी को, 7/36 हिस्से का प्रतिवादी कं. 1 को, 7/36 हिस्से का प्रतिवादी कं. 2 लगायत 6 को, 1/18 हिस्से का प्रतिवादी कं. 7 लगायत 9 को, 1/18 हिस्से का प्रतिवादी कं. 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरा नंबर 191 रकबा 2.27 हैक्टर के 4/9 हिस्से का वादी को, 19/108 हिस्से का प्रतिवादी कं. 1 को, 19/108 हिस्से का प्रतिवादी कं. 2 लगायत 6 को, 1/18 हिस्से का प्रतिवादी कं. 7 लगायत 9 को, 1/18 हिस्से का प्रतिवादी कं. 10 को, 5/54 हिस्से का प्रतिवादी कं. 11 लगायत 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। माल ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादपत्र की चरण संख्या 3 में अंकित किता 10 की 6.27 हैक्टर में त्रुटिपूर्ण राजस्व इन्द्राजात का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण भूमि को रहन, विक्रय, दान अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करके वादी को शान्तिपूर्ण आधिपत्य व उपयोग—उपभोग से जबरन बेदखल कर अजनबी क्रेताओं को कब्जा सुपुर्द नहीं करें। न ही ऐसे अन्तरण के दस्तावेज का निष्पादन व पंजीयन करें। प्रतिवादीगण बिना रिकार्ड दुरूस्ती वादी के शान्तिपूर्ण संयुक्त कब्जेकाश्त व उपयोग—उपभोग में किसी प्रकार से मदाखलत—मजामहत, फसल क्षति, नुकसान इत्यादि कारित नहीं करें।

वादीगण की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा निस्तारण करवाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, रेकार्ड, दस्तावेजात व राजीनामा पक्षकारान के अनुसार दावा वादी स्वीकार करना उचित समझता हूं।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अतः दावा वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर वादी व प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 14 को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी सीताराम :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	191	2.27 में से 1.37 है. मध्य
	392	0.45 हैक्टर
	398	0.22 हैक्टर
	472	0.20 हैक्टर
	473	0.25 हैक्टर
	कुल किता 5 की	कुल 2.49 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी क्रं. 1 लक्ष्मीनारायण :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	102	2.19 में से 0.73 है. पश्चिमी–दक्षिणी
	469	0.18 में से 0.09 है.उत्तरी
	कुल किता 2 की	कुल 0.82 हैक्टर

स. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी क्रं. 2 लगायत 6 शिवनारायण, कमलेश, कुंजबिहारी, मंजूबाई, जवाहरबाई :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	102	2.19 में से 1.46 है.नजरी नक्शानुसार
	469	0.18 में से 0.09 है. दक्षिणी
	कुल किता 2 की	कुल 1.55 हैक्टर

द. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी क्रं. 7 लगायत 10 पवन, महेश, इन्द्राबाई :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	191	2.27 में से 0.72 है. पूर्वी

य. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी क्रं. 11 लगायत 14 नरेन्द्र, माणकचन्द, हुकुमचन्द, हरिप्रसाद :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	191	2.27 में से 0.18 है.पश्चिमी

र. यथावत रहने वाली आराजी :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	474	0.01 हैक्टर
	475	0.17 हैक्टर
	कुल किता 2 की	कुल 0.18 हैक्टर

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिकी मुर्तिब की जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति मे बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार खातेदार पर यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनॉक 28.5.24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)
सॉगोद

अन्तिम डिक्री मुकदमा इकतर्फा
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
सभा अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
पीठासीन – श्यामसुन्दर मीणा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 51/2023 दावा/बटवारा/सीताराम/लक्ष्मीनारायण वगैरा

सीताराम आयु 75 साल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादी–

–बनाम–

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री गोविन्दा जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
2. शिवनारायण पुत्र श्री प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
3. कमलेश पुत्र श्री प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
4. कुंजबिहारी पुत्र श्री प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
5. मंजूबाई पुत्री श्री प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
6. जवाहरबाई बेवा श्री प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
7. पवन पुत्र श्री चम्पालाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
8. महेश पुत्र श्री चम्पालाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
9. इन्द्राबाई बेवा श्री चम्पालाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा,
10. रामसुखी बाई पुत्री श्री बद्रीलाल पत्नी श्री जानकीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा हाल निवासी ग्राम देदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड,
11. नरेन्द्र पुत्र श्री गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम चतरपुरा,
12. माणकचन्द पुत्र श्री गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम चतरपुरा,
13. हुकुमचन्द पुत्र श्री गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम चतरपुरा,
14. हरिप्रसाद पुत्र श्री गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम चतरपुरा,
15. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा, –प्रतिवादी–

मि.नं. /2023

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट,

तारीख फैसला दिनांक .... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... दावा वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर वादी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 14 को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी सीताराम :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	191	2.27 में से 1.37 है. मध्य
	392	0.45 हैक्टर
	398	0.22 हैक्टर
	472	0.20 हैक्टर
	473	0.25 हैक्टर
	कुल किता 5 की	कुल 2.49 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 लक्ष्मीनारायण :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	102	2.19 में से 0.73 है. पश्चिमी–दक्षिणी
	469	0.18 में से 0.09 है.उत्तरी
	कुल किता 2 की	कुल 0.82 हैक्टर

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

स. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 2 लगायत 6 शिवनारायण, कमलेश, कुंजबिहारी, मंजूबाई, जवाहरबाई :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	102	2.19 में से 1.46 है.नजरी नक्शानुसार
	469	0.18 में से 0.09 है. दक्षिणी
	कुल किता 2 की	कुल 1.55 हैक्टर

द. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 7 लगायत 10 पवन, महेश, इन्द्राबाई :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	191	2.27 में से 0.72 है. पूर्वी

य. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 11 लगायत 14 नरेन्द्र, माणकचन्द, हुकुमचन्द, हरिप्रसाद :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	191	2.27 में से 0.18 है.पश्चिमी

र. यथावत रहने वाली आराजी :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
चतरपुरा	474	0.01 हैक्टर
	475	0.17 हैक्टर
	कुल किता 2 की	कुल 0.18 हैक्टर

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिकी मुर्तिब की जावे।

निज ———— मुवलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद वशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख को जारी की गई।

(रामावतार) उपखण्ड अधिकारी सांगोद।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)

मुदई	रुपया	पैसै	मुददायलह	रुपया	पैसै
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(रामावतार) उपखण्ड अधिकारी सांगोद।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)